न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया, (आर॰ए॰एस॰)
प्रकरण संख्या	:	68/2022
दायर दिनांक	:	21.12.2022
निर्णय दिनांक	:	04.06.2025

1. जगदीश पुत्र सीताराम जाति रैगर, निवासी ग्राम बडी बैरावास तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
2. हंसराज पुत्र सीताराम जाति रैगर, निवासी ग्राम बडी बैरावास तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
3. चौथमल पुत्र सीताराम जाति रैगर, निवासी ग्राम बडी बैरावास तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
4. बजरंग लाल पुत्र सीताराम जाति रैगर, निवासी ग्राम बडी बैरावास तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
5. मूलचन्द पुत्र सीताराम जाति रैगर, निवासी ग्राम बडी बैरावास तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
6. परसादी लाल पुत्र सीताराम जाति रैगर, निवासी ग्राम बडी बैरावास तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
7. नाथी देवी पत्नी सीताराम जाति रैगर, निवासी ग्राम बडी बैरावास तहसील भाण्डारेज जिला दौसा (नाम हज्फ)

प्रार्थीगण

बनाम

1. नारायण पुत्र लक्ष्मण जाति रैगर, निवासी ग्राम बडी बैरावास तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
2. नाथी पत्नी किशोर जाति ब्राह्मण, निवासी बडी बैरावास तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
3. शम्भू पुत्र रामप्रताप जाति ब्राह्मण, निवासी बडी बैरावास तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
4. खैराती पुत्र किशन जाति बैरवा, निवासी रामपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भाण्डारेज

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की आराजी खसरा नम्बर 123, 124, 965, 125, 128, 135, 136, 137, 138, 139 कुल किता 10 कुल रकबा 2.21 है॰ ग्राम बैरावास पटवार हल्का बाणे का बरखेडा तहसील भाण्डारेज में स्थित है। प्रार्थीगण के पिता सीताराम का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थीगण का विरासत का नामान्तकरण खुलना शेष है। इसलिए उक्त आराजी प्रार्थीगण के पिता सीताराम पुत्र बिरदा के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अंकित है। तभी से प्रार्थीगण काश्तकार काबिज होकर लाभान्वित होते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण की उपरोक्त

उपखण्ड अधिकारी दौसा (राज॰)

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:43:40 IST
Reason: SelfAttested

वर्णित भूमि से लगती हुयी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की कृषि भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 प्रार्थीगण की आराजी की डोल पर हमेशा विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण ने अपनी आराजी का सीमाज्ञान दिनांक 05.11.2019 को करवा लिया है। तहसीलदार द्वारा सीमाज्ञान कर दिये जाने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रश्नगत आराजी की मौके पर टीम गठित कर एवं पुलिस जाप्ता भिजवाया जाकर सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी कर सीमायें कायम फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी सख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक बैरवा ने पावर पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के विरुद्ध बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में प्रार्थी संख्या 7 का नाम हज्फ किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थी की भूमि से लगती हुयी अप्रार्थी की भूमि है। प्रार्थीगण जबरन अप्रार्थी की भूमि में प्रवेश कर कब्जा करने पर आमादा हैं। अप्रार्थी ने सीमाज्ञान भी कराया लेकिन प्रार्थीगण सीमाज्ञान के चिह्नों को मिटाकर आपराधिक न्यूसेंस फैलाया है। अप्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष पहले ही पत्थरगढी का दावा पेश कर रखा है। जिसमें प्रार्थीगण भी पक्षकार हैं। इसलिए मुझ अप्रार्थी की भूमि का पत्थरगढी का आदेश होना अतिआवश्यक है।

प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गयीं। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी आधार सम्वत् 2070–2073 अनुसार प्रश्नगत आराजी सीताराम पुत्र विरदा जाति रैंगर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने की पुष्टि होती है। प्रार्थीगण ने उक्त खातेदार सीताराम का स्वर्गवास होने का कथन किया है। इसके साथ ही उक्त आराजी अपनी पैतृक आराजी होना बताया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार भाण्डारेज को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम बैरावास पटवार हल्का बाणे का बरखेडा तहसील भाण्डारेज स्थित आराजी खसरा नम्बर 123, 124, 124/965, 125, 128, 135, 136, 137, 138, 139 कुल किता 10 कुल रकबा 2.21 है० का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार भाण्डारेज को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:43:40 IST
Reason: SelfAttested

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा